न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी –डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – /2024

राजस्थान सरकार वहैसियत लैण्ड होल्डर तहसीलदार धौलपुर—————————————— –प्रार्थी

बनाम

नगर परिषद् धौलपुर————————————————————————————————अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम

दिनांकः–11.11.2024

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार धौलपुर की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि राजस्व ग्राम जिरौली तहसील धौलपुर अन्तर्गत जमाबन्दी संवत् 2058–61 के खाता संख्या 1 के ख.नं. 248 रकवा 2–05 बीघा किस्म गै0मु0 कब्रिस्तान सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के प्र0सं0 212/2005 उनवान श्रीमती भूरिया देवी वगेरा बनाम वक्फ कमेटी व अन्य में निर्णय दिनांक 19.12.2005 से दावा आंशिक रूप से स्वीकार कर वादीगण को गत ख.नं. 207 हाल ख.नं. 248 रकवा 1–08 बीघा स्थित ग्राम जिरौली का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया एंव नक्शा ट्रेस में साविक नक्शे के अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिए गए थे। उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में तहसील के पत्रांक 10 दिनांक 12.01.2006 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1241 दिनांक 18.01.2006 से ख.नं. 434/248 रकवा 1–08 बीघा किस्म बारानी प्रथम भूरिया देवी पत्नि स्व. नाहर सिंह पप्पू महेन्द्र पुत्रान नाहरसिंह कौम अहीर सा. ग्राण्डील धौलपुर के नाम स्वीकार हुआ एंव शेष भूमि रकवा 17 बीघा गै0मु0 कब्रिस्तान सिवायचक बदस्तूर रहा। न्यायालय के निर्णय अनुसार नामा0सं0 1241 की पुश्त पर तरमीमी (नजरी) नक्शा में खातेदारी भूमि ख.नं. 434/248 पश्चिम दिशा की ओर एंव कब्रिस्तान की भूमि ख.नं. 435/248 (जिसका रोटेशन जमाबन्दी में मूल ख.नं. 248 कायम किया गया) रकवा 17 विस्वा पूर्व दिशा की ओर (रेलवे की भूमि से लगती हुई) प्रस्तावित किया गया है। जिस पर तत्कालीन भू0अ0 निरीक्षक के हस्ताक्षर दर्ज है। वर्तमान में उक्त दोनो खसरा नम्बरों की तरमीम,प्रस्तावित नजरी नक्शे के विपरीत ख.नं. 248 कब्रिस्तान की भूमि पश्चिम दिशा में एंव खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 434/248 पूर्व दिशा में दर्ज हो रखी है। जिसका रकवा भी तरमीम अनुसार सही नही है। उक्त तरमीम (विपरीत बटा नम्बर) संभवतः डीआईएलआरएमपी के समय वन–टू–वन मैपिंग के दौरान नक्शे में होना प्रतीत होता है। जिससे तरमीम व रकवा दोनो ही गलत दर्ज हो गए है। वर्तमान में दोनो ही खसरा नम्बरान 434/248 रकवा 1–08 बीघा (आदेश 90ए से) एंव ख.नं. 248 रकवा 17 विस्वा (सिवायचक भूमि नगरीय क्षेत्र में स्थित होने से) नगर परिषद् धौलपुर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रशासन शहरो के संग अभियान नियमन शिविर 2012 के अन्तर्गत नगर परिषद् धौलपुर के अनुमोदित ले आउट प्लान के अन्तर्गत उक्त दोनो ख.नं. की तरमीम की स्थिति सही दर्ज है अर्थात ख.नं. 434/248 की तरमीम पश्चिम दिशा एंव ख.नं. 248 कब्रिस्तान की भूमि की तरमीम पूर्व दिशा में (रेलवे की भूमि से लगती हुई) दर्ज है। खसरा नम्बर 248 एंव 434/248 की तरमीम न्यायालय निर्णय अनुसार एंव नामा0 सं0 1241 की पुश्त पर अंकित नजरी नक्शा अनुसार अन्तर्गत धारा 131 एलआर एक्ट के तहत शुद्धि किया जाना आवश्यक है। अतः राजस्व ग्राम जिरौली के ख.नं. 434/248 रकवा 1–08 बीघा एंव ख.नं. 248 रकवा 17 विस्वा की तरमीम नामा. सं. 1241 की पुश्त पर अंकित नजरी नक्शे अनुसार वर्तमान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर (राज0)

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

नक्शे में होरही तरमीम ख.नं. 248 के स्थान पर 434/248 एंव ख.नं. 434/248 के स्थान पर 248 खसरा नम्बर दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थी तहसीलदार धौलपुर की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ नगर परिषद् धौलपुर के पत्रांक 2271–72 दिनांक 01.08.2024, पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 30.07.2024, नक्शा ग्राम जिरौली बटरशीट ग्राम जिरौली, जमाबन्दी ग्राम जिरौली संवत 2076–79, नामा0 सं. 1379 दिनांक 18.07.2022 ग्राम जिरौली, नामा0 सं0 1241 ग्राम जिरौली, जमाबंदी संवत 2058–2061 ग्राम जिरौली इत्यादि की प्रति पेश की गई।

पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार को सुना गया। पैरोकार सरकार को सुनने एंव पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त हम तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट अनुसार शुद्धि किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार धौलपुर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम जिरौली के खसरा नम्बर 434/248 रकवा 1–08 बीघा एंव ख.नं. 248 रकवा 0–17 बीघा की वर्तमान तरमीम को नामा0 सं0 1241 ग्राम जिरौली की पुश्त पर अंकित नजरी नक्शा अनुसार शुद्ध किये जाने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 11.11.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,धौलपुर